पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –341 / 2024

उनवान : –

1. अमरजीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

—वादी

बनाम

1. बलविन्द्र कौर पत्नी स्व0 बलदेव सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. हरबंश कौर पत्नी भजन सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
3. लखविन्द्र कौर पुत्री बलदेव सिंह पत्नी कमलजीत सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला हाल डिंग रोड, पतली डाबर तहसील व जिला सिरसा।
4. सिमरन कौर पुत्री बलदेव सिंह पत्नी मेजर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला हाल ढाणी सरूप सिंह, ओटू जिला सिरसा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री निर्माण सिंह वादी

श्री विकास शर्मा, कुन्दनलाल प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 26/11/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री निर्माण सिंह व वकील प्रतिवादीगण श्री विकास शर्मा, कुन्दनलाल अंतिम निपटारे/ नि[illegible] साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने [illegible]रण [illegible] वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जा[illegible] खाता स0 142/131 में अंकित कुल 0.570 हैक्टेयर में प्रत्येक प्रति[illegible]गण के नाम से दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि, चक 2 एस.आर.डब्लयू. के संयुक्त खाता स0 143/130 में अंकित कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.12.19 13:20:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

0.633 हैक्टेयर में प्रत्येक प्रतिवादीगण के नाम से अंकित 1/10 हिस्सा भूमि, चक 2 एस. आर.डब्लयू. के संयुक्त खाता स0 26/64 में अंकित कुल 1.379 हैक्टेयर में प्रत्येक प्रतिवादीगण के नाम से अंकित 27/6895 हिस्सा भूमि तथा चक न0 12 सी.डी.आर. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स0 134/114 में अंकित कुल 0.063 हैक्टेयर में प्रत्येक प्रतिवादीगण के नाम से अंकित 1/10 हिस्सा भूमि व चक 12 सी.डी.आर. के संयुक्त खाता स0 29/219 में अंकित कुल 0.852 हैक्टेयर में प्रत्येक प्रतिवादीगण के नाम से 1/35 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व वादी के नाम से चक 2 एस.आर.डब्ल्यू. के खाता स0 142/131, खाता स0 143/130, खाता स0 26/64 व चक 12 सी.डी.आर. के खाता स. 134/114 व खाता स. 29/219 में दर्ज पूर्व के हिस्सा की भूमि को तथा चक 12 सी.डी.आर. के खाता स0 29/219 में प्रतिवादी स0 2 के नाम अंकित 1/7 हिस्सा की भूमि को यथावत रखा जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन का आदेश दिया जाता है तथा इजराय प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेष नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.12.19 13:20:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner